न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर23/2022 उनवान ओमप्रकाश बनाम रामकरण

ओमप्रकाश दत्तक पुत्र श्री रामकरण जाति साधू नाबालिग जरिये माता विमला देवी पत्नि रामालाल निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अराई जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

रामकरण पुत्र लादूदास उम्र 65 साल जाति साधू निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 16/5/25

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्रसिंह के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 13.5.2022 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 23/2022 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील विजेन्द्रसिंह ने जाहिर किया कि ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अराई की कृषि आराजी खसरा संख्या 694/525 रकबा 1.6180 है0 तथा खसरा नम्बर 427,457,458,459,494,495,548/459 कुल खसरा 7 का कुल रकबा 3.4787 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है । प्रार्थी के जन्म के 2 वर्ष बाद ही प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व माता बदाम ने गोद ले लिया । प्रार्थी की माता के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी व पिता रामकरण अप्रार्थी संख्या के साथ निवास करते चले आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 नशे का आदि होने से इसका मानसिक सतुलन ठीक नहीहै । सोचने समझने की शंक्ति कमजोर हो गई ।प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया ।, श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 01 से 11 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, उक्त भूमि का बेचान नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 01 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।
2. पत्रावली बहस में रखी गई। दिनांक 25.04.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी से ताईद है कि अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार प्रत्येक रिकार्डेड खातेदार खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच पर समान हक–अधिकार होता है । अतः रिकार्डेड खातेदार .काश्तकार को अपने हिस्से की भूमि का बेचान या उपयोग उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता है, मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)